भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार / Government of India

क्रमांक: A-25/4/(22)/2025-AP दिनांक: 01.10.2025

रिक्ति सूचना संख्या: C-5/2025-26

भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में संविदा के आधार पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की परामर्शदाता पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा), नई दिल्ली एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम, अर्थात् भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के तहत की गई है। भादूविप्रा की स्थापना दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने और दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, दूरसंचार क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए की गई है। भादूविप्रा को 2004 से प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्रों के विनियमन से संबंधित कार्य भी सौंपे गए हैं।

2. व्यक्तिगत परामर्शदाता (सेवानिवृत्त सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय) के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:

क. परामर्शदाता (निजी सचिव)

इकाई का नाम: भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	
विवरण	**विस्तृत विवरण**
पद का नाम	परामर्शदाता (निजी सचिव)
आवश्यक परामर्शदाताओं की संख्या	01 (एक)
मासिक पारिश्रमिक	अनुच्छेद 3 में दी गई तालिका-I / तालिका-II के अनुसार
वह अवधि जिसके लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया जाना है	नियुक्ति की प्रारंभिक अवधि एक वर्ष होगी, जिसे परामर्शदाता का निष्पादन और भादूविप्रा की भविष्य की आवश्यकता के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।
आयु सीमा	इस रिक्ति सूचना की तारीख तक 64 वर्ष से अधिक नहीं

Badani

आवश्यक शैक्षिक योग्यता	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक की डिग्री
योग्यता के बाद का अनुभव	केंद्र/राज्य मंत्रालय/विभाग/संगठन/स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) / निजी सचिव (पीएस) / निजी सहायक (पीए) या समकक्ष के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारी, वेतन स्तर 8 या उससे ऊपर (7वें वेतन आयोग के अनुसार) पर सदृश पद पर कार्यरत और शॉर्टहैंड में डिक्टेशन लेने और उसे लिखने, अधिकारी के निर्देशानुसार सभी पत्राचार का प्रारूपण और इसे जारी करने में सहायता करने, मुलाकातों/कार्यों का प्रबंधन करने, टेलीफोन कॉल का जवाब देने और आगंतुकों का स्वागत करने, आवश्यक कागजात को संभाल कर रखने का कम से कम 20 वर्ष का अनुभव हो। ई-ऑफिस के साथ कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है।
भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ	ज़िम्मेदारियों में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे, जोकि इन्हीं तक सीमित नहीं होगे: (i) सलाहकार, भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को प्रशासनिक और सचिवीय सहायता प्रदान करना। (ii) कार्यालय पत्राचार, आधिकारिक संचार और दस्तावेज़ीकरण का प्रबंधन करना। (iii) सलाहकार के लिए मुलाकातों, बैठकों और यात्राओं की व्यवस्थाएँ करना। (iv) आधिकारिक दस्तावेज़ों, रिपोर्टों और प्रस्तुतियों का प्रारूपण, प्रूफ-रीडिंग और इन्हे अंतिम रूप देना। (v) कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों का समन्वय और आयोजन करना। (vi) दिन-प्रतिदिन की प्रशासनिक गतिविधियों में सहयोग देकर प्रभावी कार्यालय प्रबंधन सुनिश्चित करना।

3. **<u>मासिक पारिश्रमिक:</u>**

3.1 पेंशनयोग्य संगठनों / डीओटी पीएसयू से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए:

तालिका-I

क्र.	**कार्यालय आदेश का संदर्भ एवं दिनांक**	**किसके लिए लागू**	**पारिश्रमिक निर्धारण की पद्धति**
1	व्यय विभाग के दिनांक 09.12.2020 की कार्यालय ज्ञापन संख्या 3-25/2020-E.IIIA	केंद्र सरकार के ऐसे के सेवानिवृत्त कर्मचारी जो पेंशन प्राप्त करते है	सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन में से मूल पेंशन को काटकर एक निश्चित मासिक राशि दी जाएगी।
2	दूरसंचार विभाग के दिनांक 29.03.2022 का पत्रांक 3-10/2014-SEA-I/Fin	डीओटी / पीएसयू के सेवानिवृत्त कर्मचारी	केन्द्र सरकार में उस पद के समतुल्य स्तर का पता लगाया जाना है जिस पर सेवानिवृत्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी को संविदा आधार पर नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है। फिर केंद्र सरकार में इस तरह के पद का नोशलन पे ऐसे पद के संबंधित वेतन स्तर के सेल -1 और सेल -10 के औसत को लेकर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त राशि को अंतिम मूल वेतन के रूप में माना जा सकता है और ऐसे मूल वेतन के 50% को पारिश्रमिक के रूप में अनुमति दी जा सकती है।
3	व्यय विभाग के दिनांक 18.10.2023 की कार्यालय ज्ञापन संख्या 03-25/2020-E.III(A)/Pt	एनपीएस के तहत केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त	सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम मूल वेतन के 30% के बराबर राशि, अंतिम मूल वेतन से काट ली जाएगी और परिणामी राशि, पारिश्रमिक के रूप में निश्चित मासिक राशि होगी।

3.1.1 पेंशनयोग्य संगठनों / डीओटी पीएसयू से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ता, व्यय विभाग के दिनांक 09.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3-25/2020-E.IIIA के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

3.2 गैर-पेंशनयोग्य संगठनों सहित पीएसयू / स्वायत्त निकाय / वैधानिक निकाय आदि से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए:

<u>तालिका-II</u>

क्र.	श्रेणी	पारिश्रमिक निर्धारण की पद्धति	परिवहन भत्ता
1	गैर-पेंशनयोग्य संगठनों सहित पीएसयू / स्वायत्त निकाय / वैधानिक निकाय आदि से सेवानिवृत्त	गैर-पेंशनयोग्य संगठन से सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम मूल वेतन के बराबर राशि, और यदि संबंधित क्षेत्र में सेवानिवृत्ति के बाद का कोई अतिरिक्त अनुभव (पूर्णांकित) हो तो उसे मूल वेतन का 5% प्रति वर्ष की दर से जोड़ा जाएगा।	प्रति माह आठ हजार (8,000) रुपये (निश्चित)

4. परामर्शदाता की सेवाएं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के **दिनांक 05.08.2025** के दिशा-निर्देश संख्या **A-25/4/(3)/2021-A&P** अनुसार नियंत्रित होंगी। नियोजन की सामान्य शर्तें **अनुलग्नक "क"** में संलग्न हैं।

5. भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में परामर्शदाता (सरकारी / पीएसयू / स्वायत्त निकाय/ वैधानिक निकाय से सेवानिवृत्त) के पद के इच्छुक पात्र उम्मीदवार **केवल ऑनलाइन मोड** के माध्यम से **<u>यूआरएल:</u>** https://vacancies.trai.gov.in पर अपना आवेदन भेज सकते हैं। डाक / ई-मेल तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की **अंतिम तिथि 21.10.2025** है। ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां भी अपलोड की जा सकती हैं:

(क). जन्म तिथि दर्शाने वाला दस्तावेज [10वीं कक्षा की मार्क शीट (जन्म तिथि दर्शाती हुई), जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति आदि]।

(ख). शैक्षिक योग्यता [10वीं कक्षा से आगे की मार्क शीट...]।

(ग). स्नातकोत्तर अनुभव / रोजगार।

(घ). पीपीओ प्रति (यदि पेंशनयोग्य संगठन से सेवानिवृत्त हुए हैं)।

(ङ). कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।

6. अधूरे आवेदनों या ऊपर पैरा 5 (क से घ) में उल्लिखित सहायक दस्तावेजों के बिना जमा किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. भादूविप्रा इस विज्ञापन में वर्णित परामर्शदाता (सरकारी / पीएसयू / स्वायत्त निकाय/ वैधानिक निकाय से सेवानिवृत्त) के चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(डी. एस. जादौन)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (मानव संसाधन)
ईमेल: sro-hr@trai.gov.in

<u>सूचनार्थ आंतरिक परिचालन : -</u>

1. भादूविप्रा अध्यक्ष कार्यालय के ओएसडी
2. भादूविप्रा सदस्य के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव
3. भादूविप्रा सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
4. सभी प्रधान सलाहकार/सलाहकार [मुख्यालय], भादूविप्रा ।
5. संयु. सलाहकार (आईटी) से अनुरोध है कि इसे भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल
7. सूचना पट्ट।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) में अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता (सेवानिवृत्त सरकारी / पीएसयू / स्वायत्त निकाय / वैधानिक निकाय) की नियुक्ति के नियम और शर्तें

1. **अनुबंध की अवधि और उसका विस्तार:**

परामर्शदाताओं को आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए काम पर रखा जाएगा। भादूविप्रा की आवश्यकता और उपयुक्तता के आधार पर परामर्शदाता 65 वर्ष की आयु तक वार्षिक आधार पर विस्तार के लिए पात्र होंगे।

2. **सामान्य शर्तें और पारिश्रमिक:**

2.1 परामर्शदाता (सेवानिवृत्त सरकारी /पीएसयू/स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय कर्मचारी)

परामर्शदाता (सेवानिवृत्त सरकारी/पीएसयू/स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय कर्मचारी) को भादूविप्रा के प्रभागों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न कार्यों में लगाया जा सकता है। भादूविप्रा द्वारा अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले परामर्शदाताओ की पद की स्थिति, अनुभव, आयु सीमा, पारिश्रमिक आदि इस प्रकार हैं:

तालिका -I

क्रम सं	श्रेणी (1)	न्यूनतम अनुभव ^$$ (पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या) (2)	इस रिक्ति की सूचना जारी होने की तारीख में ऊपरी आयु सीमा *^ (वर्ष में) (3)	मासिक पारिश्रमिक (रु) (4)	परिवहन भत्ता (प्रति माह) ** (रु.) (5)
(क)	पेंशनयोग्य संगठनों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए				
	परामर्शदाता पेंशनयोग्य संगठनों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए	भादूविप्रा द्वारा जारी रिक्ति परिपत्र की आवश्यकता के अनुसार	64	तालिका सं -II दैखें	
(ख)	दूरसंचार विभाग पीएसयू से सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए				
	परामर्शदाता दूरसंचार विभाग पीएसयू से सेवा निवृत्त	भादूविप्रा द्वारा जारी रिक्ति परिपत्र की आवश्यकता के अनुसार	64	तालिका सं -II दैखें	

Badam

क्रम सं	श्रेणी (1)	न्यूनतम अनुभव ^$$ (पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या) (2)	इस रिक्ति की सूचना जारी होने की तारीख में ऊपरी आयु सीमा *^ (वर्ष में) (3)	मासिक पारिश्रमिक (रु) (4)	परिवहन भत्ता (प्रति माह) ** (रु.) (5)
	कर्मचारियों के लिए				
(ग)	ऐसे सरकारी कर्मचारी जो गैर पेंशनयोग्य संगठनों जिसमें पीएसयू, स्वायत्त संस्थान, सांविधिक निकाय आदि भी शामिल है, उनके मामलों के लिए ##				
	सलाहकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय/ सांविधिक निकाय आदि सहित गैर-पेंशन योग्य संगठनों से सेवानिवृत्त	भादूविप्रा द्वारा जारी रिक्ति परिपत्र की आवश्यकता के अनुसार	64	गैर-पेंशनयोग्य संगठन से सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम मूल वेतन के बराबर राशि, और यदि संबंधित क्षेत्र में सेवानिवृत्ति के बाद का कोई अतिरिक्त अनुभव (पूर्णांकित) हो तो उसे मूल वेतन का 5% प्रति वर्ष की दर से जोड़ा जाएगा।	8000/- (निश्चित)

पेंशन योग्य सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/डीओटी पीएसयू के मामले में, पारिश्रमिक समय-समय पर इस संबंध में जारी भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार तय किया जाएगा। वर्तमान में निम्नलिखित दिशानिर्देश लागू हैं:

तालिका सं -II

क्रम सं	**कार्यालय ज्ञापन सं एवं तारीख**	**किसके लिए लागू**	**पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति**
1	व्यय विभाग के दिनांक 09.12.2020 की कार्यालय ज्ञापन संख्या 3-25/2020-E.IIIA	पेंशन भोगी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन में से मूल पेंशन को काटकर एक निश्चित मासिक राशि दी जाएगी।
2	दूरसंचार विभाग, के दिनांक के	दूरसंचार पीएसयू से सेवा	केन्द्र सरकार में उस पद के समतुल्य स्तर का पता लगाया जाना है जिस पर सेवानिवृत्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी को संविदा आधार पर नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव

	29.03.2022 के पत्रांक 3-10/2014-SEA-I/Fin	निवृत्त कर्मचारी	है। फिर केंद्र सरकार में इस तरह के पद का नोशलन पे ऐसे पद के संबंधित वेतन स्तर के सेल -1 और सेल -10 के औसत को लेकर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त राशि को अंतिम मूल वेतन के रूप में माना जा सकता है और ऐसे मूल वेतन के 50% को पारिश्रमिक के रूप में अनुमति दी जा सकती है।
3	व्यय विभाग के दिनांक 18.10.2023 की कार्यालय ज्ञापन संख्या 03-25/2020-E.III(A)/Pt	एनपीएस के तहत सेवा निवृत्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम मूल वेतन के 30% के बराबर राशि, अंतिम मूल वेतन से काट ली जाएगी और परिणामी राशि, पारिश्रमिक के रूप में निश्चित मासिक राशि होगी।

* आयु सीमाः परामर्शदाताओं के लिए कार्य अवधि को 65 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, भादूविप्रा निष्पादन और आवश्यकता के अधीन योग्य मामलों में इस अवधि को 70 वर्ष तक बढ़ा सकता है। उम्मीदवारों के अच्छे स्वास्थ्य और उनकी विशेषज्ञता के स्तर को ध्यान में रखते हुए 65 वर्ष और 70 वर्ष तक का कार्य विस्तार भादूविप्रा के अध्यक्ष के अनुमोदन से किया जाएगा।

^ किसी विशिष्ट पद के लिए रिक्ति परिपत्र की तिथि के अनुसार। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के विस्तार के लिए अधिसूचना, यदि कोई हो, को इस उद्देश्य के लिए रिक्ति परिपत्र नहीं माना जाएगा।

$$ केंद्र/राज्य/मंत्रालय/विभाग/संगठन/स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक उपक्रम से सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले में सतर्कता मंजूरी मौजूदा सीवीसी/सरकारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त की जाएगी।

** पेंशन योग्य संगठनों/डीओटी सार्वजनिक उपक्रमों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को परिवहन भत्ता व्यय विभाग के दिनांक 09.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं 3-25/2020-IIIA के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। अनुबंध की अवधि के दौरान परिवहन भत्ता अपरिवर्तित रहेगा अनुबंध अवधि के दौरान कोई वार्षिक या अन्यथा वृद्धि नहीं होगी परिवहन भत्ते पर किसी भी महँगाई भत्ते (डी ए) घटक की अनुमति नहीं होगी।

##ये पद उन सभी सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए खुले हैं जो गैर-पेंशन योग्य केंद्र/राज्य मंत्रालय/विभाग/संगठन/स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक उपक्रमों आदि से सेवानिवृत्त हुए हैं, जो पात्रता और इन दिशानिर्देशों और सरकार के प्रासंगिक निर्देशों/दिशानिर्देशों में निर्धारित अन्य नियमों और शर्तों यदि कोई हों तो, के अधीन हैं।

3. <u>संविदात्मक नियम और शर्तें</u>

3.1. कानूनी स्थिति :

इन दिशानिर्देशों के तहत परामर्शदाता के रूप में नियुक्त व्यक्ति को किसी भी उद्देश्य के लिए भादूविप्रा का कर्मचारी सदस्य या अधिकारी नहीं माना जाएगा और इन दिशानिर्देशों में निहित नियमों और शर्तों और भादूविप्रा और परामर्शदाताओं के बीच हुए समझौते द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इस प्रकार, अनुबंध के भीतर या उससे संबंधित कुछ भी भादूविप्रा और परामर्शदाताओं के बीच नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध को स्थापित नहीं करेगा अनुबंध अवधि के दौरान या उसके बाद, परामर्शदाता भादूविप्रा के कर्मचारी होने का दावा नहीं करेंगे परामर्शदाता अनिवार्य रूप से भादूविप्रा के साथ अनुबंध करते समय अनुलग्नक-1 के अनुसार इस संबंध में एक वचन देंगे।

3.2 **<u>आचरण के मानक</u>**:

परामर्शदाता अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के संबंध में न तो भादूविप्रा से बाहर के किसी प्राधिकरण से निर्देश मांगेंगे और न ही उन्हें स्वीकार करेंगे। परामर्शदाता उसके/उसके प्रदर्शन के संबंध में या अन्यथा अनुबंध के तहत उसके दायित्वों से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं करेगा जो भादूविप्रा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। परामर्शदाता भादूविप्रा के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने दायित्वों को पूरा करेंगे। परामर्शदाता अनुबंध के तहत दायित्वों के निष्पादन से संबंधित सभी कानूनों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों का पालन करेगा। अनुबंध के तहत दायित्वों के निष्पादन में, परामर्शदाता आचरण के अपेक्षित मानकों का पालन करेंगे। यदि इसका इसका पालन नहीं किया जाता है तो इसे अनुबंध की समाप्ति का आधार बनाया जायेगा।

3.3 **<u>कार्यों का सौंपा जाना</u>**:

परामर्शदाताओं को विभिन्न कार्यात्मक इकाईयों द्वारा चिन्हित विशिष्ट परियोजनाओं के लिए तैनात किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर सक्षम प्राधिकारी के पास किसी भी अतिरिक्त कर्तव्य को सौंपने का अधिकार सुरक्षित है इस तरह के अतिरिक्त कार्य के मामले में कोई अतिरिक्त/अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
\

3.4 **<u>सेवा समाप्ति</u>**:

3.4.1 भादूविप्रा के पास बिना कोई कारण बताए परामर्शदाताओं को लिखित रूप में एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

3.4.2 हालांकि, भादूविप्रा किसी भी समय, बिना किसी पूर्व सूचना के और कोई कारण बताए अनुबंध को समाप्त कर सकता है, अगर उसकी राय में परामर्शदाता की अब आवश्यकता नहीं है या वह अनुबंध के तहत अपने कर्तव्यों या दायित्वों का संतोषजनक ढंग से निर्वहन करने में विफल रहा है या उसने अनुबंध का उल्लंघन किया है। यदि अनुबंध की समाप्ति के लिए भादूविप्रा

द्वारा दिया गया नोटिस अपेक्षित नोटिस अवधि से कम है या बिना पूर्व सूचना के भादूविप्रा द्वारा अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है, तो आवश्यक नोटिस अवधि (समानुपातिक गणना के आधार पर) या एक महीने के पारिश्रमिक से कम अवधि के लिए मासिक पारिश्रमिक, भादूविप्रा द्वारा देय होगा ।

3.4.3 परामर्शदाता भादूविप्रा को एक महीने का लिखित नोटिस देने पर अनुबंध को समाप्त करने की भी मांग कर सकते हैं यदि परामर्शदाता भादूविप्रा को एक महीने के लिखित नोटिस से कम अवधि के लिए अनुबंध को समाप्त करने की मांग करता है, तो उसे आवश्यक नोटिस अवधि (समानुपातिक गणना के आधार पर) से कम अवधि के लिए मासिक पारिश्रमिक का भुगतान करना होगा ।

3.5 **<u>यौन शोषण और दुरुपयोग निषेध</u>**:

अनुबंध के निष्पादन में, परामर्शदाता कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करेंगे। परामर्शदाता यह स्वीकार करते हैं और इस तथ्य से सहमत होते हैं कि इसके प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन अनुबंध की एक आवश्यक शर्तो का उल्लंघन होगा और किसी भी अन्य कानूनी अधिकार या किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध उपचार के अलावा, अनुबंध को समाप्त करने का आधार होगा। यदि आवश्यक हो, तो आगे उचित कानूनी कार्रवाई की भी सिफारिश की जा सकती है।

3.6 **<u>मेडिकल सर्टिफिकेट</u>**:

भादूविप्रा को परामर्शदाताओं से अनुबंध में प्रवेश के समय एक पंजीकृत चिकित्सक से एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।

3.7 **<u>बुनियादी सुविधाएं</u>**:

परामर्शदाताओं के कर्तव्यों के उचित और सुचारू निर्वहन के लिए भादूविप्रा परामर्शदाताओं के लिए आवश्यक कार्यालय स्थान, फर्नीचर, स्टेशनरी, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर, इंटरनेट तक पहुंच आदि जैसी बुनियादी सहायता सुविधाएं प्रदान कर सकता है। अनुबंध की समाप्ति के समय या आवश्यकता समाप्त होने पर परामर्शदाताओं को प्रदान किए गए इस तरह के उपकरण और सुविधाएं परामर्शदाताओं द्वारा वापस कर दी जाएंगी।

3.8 **<u>दस्तावेजों और सूचनाओं की गोपनीयता</u>**:

परामर्शदाता भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के प्रावधानों का पालन करेंगे वह सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भादूविप्रा के नाम, प्रतीक या आधिकारिक मुहर का उपयोग नहीं करेगा। परामर्शदाता भादूविप्रा के साथ अनुबंध करते समय **अनुलग्नक-1** के अनुसार गोपनीयता के समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

3.9 **<u>बौद्धिक संपदा अधिकार</u>**:

भादूविप्रा द्वारा परामर्शदाताओं को प्रदान की गई जानकारी और दस्तावेजों में निहित सभी बौद्धिक संपदा (कॉपीराइट, डिजाइन अधिकार, जानकारी और ट्रेडमार्क सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) भादूविप्रा की एकमात्र और अनन्य संपत्ति बनी रहेगी। भादूविप्रा उन प्रक्रियाओं, विचारों, तकनीकी/परामर्श पत्रों/रिपोर्टों, दस्तावेजों या किसी अन्य सामग्री के संबंध में सभी बौद्धिक संपदा अधिकारों का भी मालिक होगा जो परामर्शदाताओं ने अनुबंध के तहत भादूविप्रा के लिए विकसित की है, और जो परामर्शदाताओं को सौंपे गए कर्तव्यों के निष्पादन के परिणामस्वरूप या उसके दौरान प्रत्यक्ष संबंध रखता है या उत्पादित किया जाता है या तैयार किया जाता है या एकत्र किया जाता है। परामर्शदाताओं को ऐसी बौद्धिक संपदा का कोई अधिकार नहीं होगा और वे भादूविप्रा की पूर्व स्वीकृति के बिना ऐसी जानकारी, दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री सार्वजनिक क्षेत्र में या किसी तीसरे पक्ष को प्रकाशित या उपलब्ध नहीं कराएंगे।

3.10 **<u>विवादों का निपटारा</u>**:

भादूविप्रा और परामर्शदाता अनुबंध या उसके उल्लंघन, समाप्ति या अयोग्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, मतभेद या दावे को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे।

3.11 <u>मध्यस्थता:</u>

अनुबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, मतभेद या पक्षकारों के बीच दावा, या उसके उल्लंघन, समाप्ति या अयोग्यता, जब तक कि ऊपर दिए गए प्रावधानों के अनुसार सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया न जाए, दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा मध्यस्थता के लिए अध्यक्ष, भादूविप्रा को भेजा जाएगा अध्यक्ष, भादूविप्रा ऐसे विवाद/विवाद के निपटारे के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है।

3.12 **<u>हितों का टकराव</u>**:

परामर्शदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे भादूविप्रा /भारत सरकार के सभी लागू नियमों और विनियमों का पालन करें जो लागू हैं। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अत्यंत ईमानदारी, पद की गोपनीयता और ईमानदारी का प्रदर्शन करें। यदि परामर्शदाताओं की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं या भादूविप्रा के हितों के साथ टकराव में पाई जाती हैं, तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं।

3.13 **<u>अवशिष्ट मामले</u>**:

जिन मामलों को इन दिशानिर्देशों द्वारा या उनके तहत विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है, उनके संबंध में परामर्श और अन्य सेवाओं की खरीद नियमावली 2017 के साथ-साथ वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी जीएफआर 2017 में दिए गए नियम और शर्तें लागू होंगी।

4 <u>पारिश्रमिक का भुगतान :</u>

4.1 मासिक पारिश्रमिक और परिवहन भत्ता, जैसा कि उपरोक्त प्रासंगिक पैरा में दर्शाया गया है, परामर्शदाताओं को दिया जाएगा और कोई अन्य भत्ता, जैसे कि महँगाई भत्ता और मकान

किराया भत्ता, देय नहीं होगा ।

4.2 संबंधित विभाग द्वारा सत्यापित उपस्थिति के आधार पर, लागू करों की कटौती के बाद, समेकित पारिश्रमिक का भुगतान, महीने की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर, भादूविप्रा द्वारा जारी किया जाएगा। परामर्शदाता हमेशा कार्यालय में आने पर और कार्यालय से बाहर निकलने के समय उपस्थिति दर्ज करेगा ।

5 <u>यात्रा भत्ता:</u>

परामर्शदाताओं को आधिकारिक उद्देश्यों के लिए घरेलू दौरे करने की आवश्यकता हो सकती है, बशर्ते सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी हो। परामर्शदाता के लिए यात्रा भत्ता पात्रता सेवानिवृत्ति के समय उसके द्वारा धारण किए गए मूल पद की उसकी पात्रता के अनुसार होगी, जो भादूविप्रा में संयुक्त सलाहकार के लिए स्वीकार्य पात्रता की ऊपरी सीमा तक हो सकती है।

6 <u>छुट्टी</u>:

6.1 परामर्शदाता राजपत्रित छुट्टियों के अलावा अनुबंध के तहत सेवा के प्रत्येक पूरे महीने के लिए डेढ़ दिन की दर से अनुपस्थिति की छुट्टी के लिए पात्र होंगे ।

6.2 अनुबंध की अवधि के दौरान संचित भुगतान की गई छुट्टियों का लाभ केवल अनुबंध के जारी रहने के दौरान लिया जा सकता है और अनुबंध के किसी भी विस्तार के मामले में इसे अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है ।

6.3 संचित शेष छुटिटयाँ, यदि कोई हो, अनुबंध के वर्ष के अंत/अनुबंध की समाप्ति की तारीख पर समाप्त हो जाएगी ।

6.4 यदि निर्धारित सीमा से अधिक अवकाश से लिया जाता है तो अनुबंध की अवधि के दौरान "कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं" का सिदधांत लागू होगा ।

7 <u>स्रोत पर कर कटौती</u>:

प्रचलित नियमों के अनुसार काटे जाने वाले आयकर या किसी अन्य कर की भुगतान जारी करने से पहले स्रोत पर कटौती की जाएगी और लागू होने वाला कोई भी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा । अनुबंध के तहत किए गए भुगतान पर परामर्शदाता द्वारा देय कोई अन्य लागू कर या योगदान केवल परामर्शदाता द्वारा वहन किया जाएगा ।

8 <u>प्रामाणिकता</u>:

यदि परामर्शदाताओं द्वारा दी गई कोई घोषणा या दी गई जानकारी गलत साबित होती है या यदि ऐसा पाया जाता है कि परामर्शदाता ने किसी भी भौतिक जानकारी को जानबूझकर छिपाया है, तो अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और भादूविप्रा ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकता है जो आवश्यक समझी जाए ।

9 **<u>क्षतिपूर्ति</u>:**

परामर्शदाताओं की उनके कर्तव्यों के दौरान मृत्यु या गंभीर चोट की स्थिति में, किसी भी रूप में मुआवजा न तो परामर्शदाताओं को और न ही उनके आश्रितों को देय होगा । परामर्शदाताओं की यह एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि वे अपने हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त बीमा पॉलिसी लें ।

****